कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म0प्र0

क्र./[illegible]/पीए/2020 /343 — इन्दौर, दिनांक 26 मार्च 2020

//आदेश//

आप सभी आमजन को अवगत हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए इंदौर जिले में दिनांक 25 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कर्फ्यू आदेश जारी किया गया है, एवं यह प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। न ही निजी परिवहन का उपयोग किया जाएगा। उक्त आदेश में खाद्य पदार्थ, फूड प्रोसेसिंग, एलपीजी गैस सिलेण्डर की डिपो से गोदामों तक डिलेवरी एवं गोदामों से उपभोक्ताओं तक होम डिलेवरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गोदाम से दुकानों तक सामग्री की डिलेवरी, किराना दुकानों एवं किराना सप्लाई की डिपो एवं उक्त प्रतिष्ठानों में काम कर रहे व्यक्ति या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे समस्त वाहनों को छूट दी गई है।

इसके उपरांत भी उक्त आदेश के प्रतिबंध से दी गई छूट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः उन शिकायतों के निराकरण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न सामग्री, प्रतिष्ठान, डिपो एवं किराना शॉप में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु श्री पवन जैन अपर कलेक्टर को नोडल अधिकृत किया जाता है। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वे दूरभाष, वाट्सएप, ईमेल एवं एसएमएस आदि पर प्राप्त हो रही सूचना का संकलन कर आवश्यकतानुसार जिला परिवहन अधिकारी या संबंधित पुलिस अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में नागरिकों को होम डिलिवरी के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।

उक्त व्यवस्था के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों एवं समस्याओं से सम्बंधित मुद्दों का निराकरण भी नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नोडल अधिकारी की सहायता हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की टीम गठित की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नंबर
1	श्रीमति मनीषा पाठक	एडिशनल एस.पी.	9425135355
2	श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी	आर.टी.ओ.	7354757062
3	श्री एल.मुजाल्दा	जिला आपूर्ति नियंत्रक	9630515051
4	श्री मनीष स्वामी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	9993072896

उक्त अधिकारी, नोडल अधिकारी श्री पवन जैन अपर कलेक्टर (मोबाईल नंबर 9425066016) से समन्वय कर उपरोक्त संबंध में प्राप्त समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इंदौर

पृ.क्र./क्यू/पी.ए./2020/344 इन्दौर, दिनांक 26 मार्च 2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 पुलिस महानिरीक्षक जिला इंदौर।
2 पुलिस उपमहानिरीक्षक जिला इंदौर।
3 पुलिस अधीक्षक पूर्व/पश्चिम जिला इंदौर।
4 समस्त अपर कलेक्टर जिला इंदौर।
5 समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला इंदौर।
6 समस्त नगर पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर।
7 उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/जिला विशेष शाखा जिला इंदौर।
8 प्रभारी अधिकारी/थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन (समस्त) जिला इंदौर।
9 उप संचालक जनसंपर्क इंदौर की ओर प्रकाशनार्थ।
10 प्रभारी अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर।
11 जिला प्रबंधक म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन इंदौर।
12 श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला परिवहन अधिकारी जिला इंदौर।
13 श्री एल.मुजाल्दा जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला इंदौर।
14 श्री मनीष स्वामी, फुड सेफ्टी आफिसर इंदौर
15 अध्यक्ष पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन जिला इंदौर।
16 अध्यक्ष एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जिला इंदौर।
17 अध्यक्ष राशन विक्रेता संघ जिला इंदौर।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इंदौर